41–(08)–89–2019

पटना में दिनांक–13 सितम्बर, 2019 शुक्रवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1. एम०जे०सी०सं०– 2078/2018 (सी०डब्लू०जे०सी०सं०–17862/2008 में पारित न्यायादेश दिनांक 18.12.2017 से उत्पन्न) के अनुपालन के क्रम में श्री शिवपूजन बैठा, सम्प्रति सेवानिवृत्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना को उनसे कनीय श्री मदन बिहारी शरण के समान नियमित प्रोन्नति संबंधी वित्त विभाग के परामर्श एवं प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 31.12.1990 से श्री शरण की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.03.1997 तक की अवधि के लिए अपर कृषि निदेशक एवं समकक्ष (वेतनमान 4500–5700/–) का एक अधिसंख्य पद (सुपर न्यूमरेरी पद) की स्वीकृति एवं दिनांक 31.12.1990 से दिनांक 31.03.1997 तक अपर कृषि निदेशक एवं समकक्ष (वेतनमान 4500–5700/–) में सभी अनुमान्य लाभ के साथ नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति के संबंध में।

1. स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

2. ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न राज्य योजनाओं के निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रबंधन हेतु स्थापित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या मु०अ०–4(मु०) विविध (कार्य)–23–30/2016 1360/ पटना, दिनांक 24.06.2016 की कंडिका 3(iii) में "एक स्वतंत्र अभियंता के लिए दो PIU होंगे" के स्थान पर "एक स्वतंत्र अभियंता के जिम्मे एक PIU होंगे" के संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

2. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

3. वित्तीय वर्ष 2019–20 में पंचायत सरकार भवनों/ग्राम पंचायत भवनों के रख–रखाव एवं प्रशासनिक व्यय/उपस्कर क्रय हेतु ₹72,97,40,000.00 (बहत्तर करोड़ सत्तानबे लाख चालीस हजार रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति।

3. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5. वित्तीय वर्ष 2019–20 में तत्कालीन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा राशि स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राज्य योजना मद से ₹6700.00 लाख (सड़सठ करोड़) राशि की विमुक्ति की स्वीकृति।

5. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

6. "बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी–शिकायत निवारण नियमावली, 2013" अन्तर्गत बिहार राज्य के सभी जिले में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार में नियुक्त पीठासीन पदाधिकारियों, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है या समाप्त होने वाला है, ऐसे कुल 59 (उनसठ) पदाधिकारियों को दिनांक–31.12.2019 अथवा नई नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्यरत रखे जाने की स्वीकृति के संबंध में। 6. स्वीकृत।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक (पाँच वर्षों) के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त सम्पोषित "Bihar State Knowledge Management Centre on Climate Change (SKMCCC)" की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु RA-III, SRF एवं JRF कोटि के क्रमशः 01, 02 एवं 2 कुल 5 पदों के सृजन का प्रस्ताव। 7. स्वीकृत।

वित्त विभाग

8. Gem Portal से सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति से संबंधित बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में। 8. स्वीकृत।

विधि विभाग

9. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के लिए पटना उच्च न्यायालय, पटना में कार्यरत माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

कृषि विभाग

10. केन्द्र प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान की राशि 4296.33 लाख (बयालीस करोड़ छियानवे लाख तैंतीस हजार) रूपये (केन्द्रांश 2212.37 लाख (बाईस करोड़ बारह लाख सैंतीस हजार) रूपये, राज्यांश 1474.91 लाख (चौदह करोड़ चौहत्तर लाख इक्यानवे हजार) रूपये एवं अतिरिक्त टॉप–अप राज्य योजना मद से 609.05 लाख (छः करोड़ नौ लाख पांच हजार)रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं निकासी तथा व्यय की स्वीकृति। 10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 609 मदरसा अंतर्गत मदरसा जन्नतुल मनात गाद बहुअरी रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मदरसा संख्या–2434 के वस्तानियां स्तर को फौकानिया स्तर में संशोधन करने की स्वीकृति के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. लीज पर लिए गए भवन से निजी क्षेत्र में औपबंधिक रूप से स्थापित एवं संचालित अमिटी विश्वविद्यालय, पटना के औपबंधिक संचालन की अवधि दिनांक 18.05.2020 तक (आशय पत्र की विस्तारित अवधि तक) विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

13. दिनांक–01.10.2019 के प्रभाव से भू–अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय तथा सभी विशेष भू–अर्जन कार्यालयों को बंद कर निदेशक भू–अर्जन एवं पुनर्वास के एक पद को समाप्त करने तथा लंबित एवं नया भू–अर्जन कार्य संबंधित जिला के जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के द्वारा संपादित करने एव इस निदेशालय अंतर्गत कुल 892 पदों में से 848 पदों एवं उस पर कार्यरत 179 कर्मियों की सेवा राजस्व एव भूमि सुधार विभाग को सौंपने तथा शेष 44 कर्मी प्रशासी विभाग में रखे जाने के संबंध में। — 13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग की भाँति बिहार आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक) सम्वर्ग के चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों के लिए डायनेमिक ए०सी०पी० का वैचारिक लाभ 01.01.2006 से तथा वास्तविक लाभ फरवरी, 2014 से किन्तु आयुष चिकित्सकों/शिक्षकों को दिनांक 21.12.2010 से पूर्व में स्वीकृत डी०ए०सी०पी० का लाभ बरकरार रखने एवं वसूलनीय नहीं होने की शर्त पर लागू करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

15. नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में विभिन्न कोटि के अभियंताओं के स्वीकृत सभी पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्र प्रायोजित स्कीम –नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन योजनान्तर्गत "बिहार के लिए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज" के तहत मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी आधारभूत संरचना के विकास हेतु केन्द्र सरकार के केन्द्रांश राशि रूपये 10249.596 लाख (रूपये एक अरब दो करोड़ उनचास लाख उनसठ हजार छः सौ) एवं राज्य सरकार का राज्यांश राशि रूपये 8414.706 लाख (रूपये चौरासी करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार छः सौ) अर्थात् कुल रूपये 18664.302 लाख (रूपये एक अरब छियासी करोड़ चौंसठ लाख तीस हजार दो सौ) मात्र की लागत पर योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति तथा केन्द्र सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में प्रथम चरण में विमुक्त की गई केन्द्रांश की राशि रूपये 4078.691 लाख (रूपये चालीस करोड़ अठत्तर लाख उनहत्तर हजार एक सौ) तथा राज्य सरकार के समानुपातिक राशि रूपये 3621.3932 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ इक्कीस लाख उनचालीस हजार तीन सौ बीस) अर्थात् कुल रूपये 7700.0842 लाख (रूपये सतहत्तर करोड़ आठ हजार चार सौ बीस) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति।

16. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

17. बिहार खनिज (सम्मानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के स्वीकृति के संबंध में।

17. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

18. बिहार राज्य के सभी विभागों में संविदा के आधार पर नियोजित कनीय अभियंता का मानदेय/पारिश्रमिक (मासिक) निर्धारण/पुनरीक्षण में एकरूपता लाने के संबंध में।

18. स्वीकृत।

कृषि विभाग

19. कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार में "जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम" का वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–2024 तक कुल 05 वर्षों के लिए कुल 6065.50 लाख (साठ करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार) रू० की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 1393.90 लाख (तेरह करोड़ तिरानवे लाख नब्बे हजार) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

19. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

20.	वर्ष 2019 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुल 18 प्रभावित जिलों के कुल 102 प्रखण्डों जहाँ वर्षापात में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गयी है, के अन्तर्गत कुल 896 पंचायत जहाँ खरीफ फसल का 70 प्रतिशत से कम आच्छादन हुआ है, में "तत्काल सहायता" के रूप में 3000.00 (तीन हजार) रूपये प्रति परिवार नगद राशि उपलब्ध कराने एवं बेहार आकस्मिकता निधि से 900.00 (नौ सौ) करोड़ रूपया प्रावधानित करने के संबंध में।	20. स्वीकृत।